UPSI180018452025

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), महमूदाबाद-सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-220/2025

अरविन्द कुमार चौहान आदि बनाम रामचन्द्र आदि।

वाद की प्रकृति	**स्थायी निषेधाज्ञा**
वाद का मूल्यांकन	**1000/-रुपये**
अधिवक्ता का नाम	**श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी**
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि	**31.05.2025**

यह वाद-पत्र वादीगण द्वारा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा उनके विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानुसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तद्नुसार न्यायशुल्क अदा है। अतः वाद मूलवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनाँक-02.08.2025 को पेश हो।

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

<u>निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2</u>

वादीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र 6ग2 मय शपथ पत्र 7ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर वादीय भूमि/झोपड़ी कच्चा घर जोकि ग्राम व पोस्ट सरैंया राजासाहब, परगना व तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर में स्थित है, जिसकी चौहद्दी उत्तर-नाली व खड़ंजा बादहू महेश्वर खेत आदि, दक्षिण-छोटेलाल जगह, पूरब-राकेश व संतोष का घर (सड़क मार्ग), पश्चिम-खेत खुशीराम आदि में वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने व नाली खड़ंजा बनाने से प्रतिवादीगण को मना करते हुए अस्थायी स्थगन आदेश निर्गत किये जाने की याचना की गयी है।

वादीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची-9ग1 से एक किता जनसुनवाई शिकायती प्रार्थना-पत्र संदर्भ संख्या-40015425037142 दिनांकित-26.05.2025 कागज संख्या-10ग1, एक किता उद्धरण खतौनी गाटा संख्या-13 कागज संख्या-11ग1, एक किता नकल खसरा गाटा संख्या-13 कागज संख्या-12ग1, एक किता वादीय स्थल का फोटोग्राफ कागज संख्या-13ग1 एवं पृथक से दो किता वादीगण के आधार कार्ड की छायाप्रतियाँ क्रमशः कागज संख्या-14ग1 लगायत 14ग1/2 दाखिल पत्रावली की गयी हैं।

कार्यालय की आख्यानुसार प्रस्तुत मामले में कैबिएट दाखिल नहीं है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुने प्रार्थना-पत्र 6ग2 पर कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। प्रतिवादीगण को

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2025.05.31 17:31:44 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge(J.D)/J.M. Mahmoodabad, Sitapur.

नोटिस दिनाँक-02.08.2025 हेतु जारी हो। वादीगण आवश्यक पैरवी करें। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/ लिखित उत्तर/ विरचन वादबिन्दु दिनाँक-02.08.2025 को पेश हो।

दिनांकः31.05.2025

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 8ग2

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना-पत्र 8ग2 वास्ते कराये जाने कमीशन कार्यवाही जरिये कमिश्नर पर एकपक्षीय रूप से सुना गया। विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु आधार पर्याप्त हैं। प्रार्थना-पत्र 8 ग 2 स्वीकार किया जाता है।

वादीगण जरिये **अधिवक्ता कमिश्नर** विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु पैरवी अविलम्ब करें। अधिवक्ता कमिश्नर को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या आगामी तिथि तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अधिवक्ता कमिश्नर की सूची से क्रमानुसार अधिवक्ता कमिश्नर पर विवादित सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु कार्यवाही अविलम्ब करे।

दिनांकः-31.05.2025

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)

UPSI180018452025